न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि. एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, केकड़ी (अजमेर).

पीठासीन अधिकारी – जयमाला पानीगर, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग).
फौजदारी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 209/2026.
अपराध अन्तर्गत धारा – 8/15, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 72/2026 पुलिस थाना बोराड़ा.

विष्णुसिंह पुत्र नन्दसिंह आयु 24 वर्ष, निवासी गांव कुंजबिहारीपुरा पोस्ट मण्डोर, पुलिस थाना फागी, जिला–जयपुर ग्रामीण (राज.).

.. प्रार्थी/अभियुक्त.

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक केकड़ी, जिला–अजमेर.

–––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023.

उपस्थिति:–

1. श्री अनुराग पाण्डेय, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त.
2. श्री मोहिन्दर कुमार जोशी, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य.

––––––

– **आ दे श** – **दिनांकः–12 अगस्त 2026.**

01– इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त विष्णुसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. का निस्तारण किया जा रहा है। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी की गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

02– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना बोराड़ा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को एक असत्य सूचना एवं निराधार तथ्यों के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना संख्या 72/2026 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है, जिसे प्रकरण में नाजायज हैरान, परेशान करने की नीयत से झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रखने से उसकी मनःस्थिति पर गम्भीर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है, जिसके कहीं भागकर जाने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा

अधिरोपित प्रत्येक आदेश की पालना करने व आदेशानुसार जमानत, मुचलके पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

03– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता के मद्देनजर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई पूर्व आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट नहीं है।

05– **Hon'ble Apex court in Zeba Khan V/s State of U.P. & ors. :- CRA -825/2026 dt.11/02/2026** in bail application has directed to provide following details-

(A) CASE DETAILS

- FIR Number & Date- **72/2026 & 05-06-2026.**
- Police Station, District and State- **Borada, Ajmer.**
- Sections invoked- **8/15 NDPS Act.**
- Maximum punishment prescribed- **10 Years**

(B) CUSTODY & PROCEDURAL COMPLIANCE

- Date of Arrest- **25.07.2026**
- Total period of custody undergone- **18 days.**

(C) STATUS OF TRIAL

- Stage of proceedings (Investigation / Chargesheet / Cognizance / Framing of charges / Trail)- **Investigation.**
- Total number of witnesses cited in the chargesheet-**Nil.**
- Number of prosecition witnesses examined- **Nil.**

(D) CRIMINAL ANTECEDENTS

- FIR No. & Police Station- **Nil.**
- Sections- **Nil.**
- Status (Pending / Acquitted/ Convicted)- **Nil.**

(E) PREVIOUS BAIL APPLICATIONS

- Court- **Nil.**
- Case No.- **Nil.**
- Outcome of case- **Nil.**

(F) COERCIVE PROCESSES

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued- **Nil.**
- Whether declared a proclaimed offender-**Nil.**

06– प्रकरण में दिनांक 05–06–2026 को समय 7.14 ए.एम. या उसके लगभग गांव मौहम्मदगढ़ में पी.एच.सी. से थोड़ा पहले अभियुक्त के वाहन कार स्विफ्ट नंबर आर.जे.47–सी.ए.–9658 की डिक्की से तीन प्लास्टिक के कट्टों में कुल 45 किलो 730 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त का छिलका बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद होने का अन्तर्गत धारा 8/15, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध का आरोप है। केस डायरी पर अभियुक्त द्वारा दी गई धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इत्तिला मौजूद है, जिसमें उसके द्वारा राजू कुम्हार को कस्बा अरांई में जिस स्थान पर अपनी स्विफ्ट कार नंबर आर.जे.47–सी.ए.–9658 अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त का परिवहन करने के लिए देकर गया था, वह स्थान चलकर बताने के कथन किए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता प्रकट हो रही है। अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गम्भीरता के मद्देनजर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

07– अतः प्रार्थी/अभियुक्त **विष्णुसिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे व एक प्रति जरिए ई–मेल संबंधित जेल अधीक्षक को प्रेषित हो।

(जयमाला पानीगर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. कैसेज एवं
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
संख्या–1, केकड़ी, जिला–अजमेर.

08– आदेश आज दिनांक 12–08–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN
Date: 2026.08.12 16:30:48 +0530

(जयमाला पानीगर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. कैसेज एवं
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
संख्या–1, केकड़ी, जिला–अजमेर.